न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 66/2025 G.C.M.S. No. 2025/281 दर्ज दिनांक : 04.06.2025

अपीलार्थी:

1. हेमलता पुत्री इंदरमल उम्र 48 वर्ष, जाति रावल ब्राह्मण, निवासी रामदेव गली तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. शांतिलाल पुत्र इंदरमल उम्र वयस्क जाति रावल ब्राह्मण, निवासी तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
2. स्व. पुष्पा पुत्री इंदरमल के कायम मुकाम:–
   2/1 हरीशकुमार पुत्र गुलाब उम्र वयस्क
   2/2 मनीष पुत्र गुलाब उम्र वयस्क
   2/3 रोहित पुत्र गुलाब उम्र वयस्क
   2/4 रिंकु पुत्री गुलाब उम्र वयस्क
   2/5 निशा पुत्री गुलाब उम्र वयस्क, तमाम जातिगण रावल ब्राह्मण, निवासी रसाला रोड़, जोधपुर।
3. सुन्दर पुत्री इंदरमल उम्र वयस्क जाति रावल ब्राह्मण निवासी रामदेव गली तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
4. मनोज कुमार पुत्र उम्मेदमल उम्र वयस्क, जाति रावल ब्राह्मण निवासी खेड़ावास, तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
5. महिपालसिंह महेला पुत्र मोहनसिंह उम्र वयस्क, जाति जाट निवासी प्लॉट नंबर 26 बद्री विहार लाल सागर जोधपुर।
6. भूराराम पुत्र खीयाराम उम्र वयस्क, जाति जाट निवासी नई पाली रोड़, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
7. प्रकाश कुमार पुत्र रूपाराम, उम्र वयस्क, जाति कुमावत, निवासी लुणावा, हाल निवास मजीसा ट्रेवल्स, तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
8. तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2022 बअनवान शांतिलाल बनाम पुष्पा के का.मु. हरिशकुमार वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963</u>

<u>पैरोकार:–</u>

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 7
4. शेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2017 बअनवान किस्तुरा बनाम नथाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 प्रस्तुत की हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया एवं शेष रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया की अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेंट्स के सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम तखतगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 663 रकबा 4.11 हैक्टर किस्म नहरी दोयम राजस्व रेकर्ड की आयी हुई स्थित है जिसके खाता संख्या 1209 व पूराने खाता संख्या 695 हैं उक्त कृषि भूमि में वादी/रेस्पोडेंट्स संख्या 1 का 1/8 हिस्सा तथा अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 5 का 1/8–1/8 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट्स संख्या 6 का 105 / 548 व रेस्पोडेंट्स संख्या 7 का 8/137 वां हक हिस्सा आता हैं तथा अपीलार्थीया व रेस्पोडेंट्स सह खातेदार हैं तथा इस कृषि भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नाप व सीमांकन का बंटवाड़ा किया हुआ नहीं हैं तथा बिना बंटवाडें के वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा व काश्त हैं, वादी/रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 7 को कई बार मौखिक रूप से उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़े करने हेतु निवेदन किया परंतु वादी/रेस्पोडेंट्स संख्या 1 को सही जवाब नहीं दे रहे हैं एवं काश्त करने में दखलअंदाजी कर रहे है तथा उसके हक हिस्से की कृषि भूमि पर भी जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं तथा वादी/रेस्पोडेंट्स संख्या 1 की सहमति के बिना सम्पूर्ण भूमि को आबादी में परिवर्तित करवाने एवं मौके पर वादी/रेस्पोडेंट्स संख्या 1 की हक हिस्से की भूमि पर भी भूखण्ड काटकर बिना बंटवाड़ें व बिना वादी की सहमति के उक्त भूमि को बेचाण करने पर आमादा हैं जबकि वादी सर्व नपाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अलग करवाना चाहता हैं वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 को प्रतिवादीगण/अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 7 उसके हक हिस्से की भूमि में काश्त करने में हस्तक्षेप व दखलअंदाजी पैदा कर रहे हैं जिस कारण मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं हैं। वादी/रेस्पोडेंट्स संख्या 1 के वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 8 को जरिये सम्मन तलब किया अपीलार्थीया की प्रोपर तामील करवाए बिना अपीलार्थीया एवं रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 के विधिक वारिसानों व 3 विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की, रेस्पोडेंट्स संख्या 4 से 7 ने जवाब पेश कर बताया की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादग्रस्त कृषि भूमि का मौखिक विभाजन हो रखा हैं एवं मौखिक विभाजन अनुसार सभी खातेदारान अपने अपने हिस्से बंट की भूमि पर काबिज हैं एवं मौखिक बंटवाड़े अनुसार विभाजन की अपने जवाबदावे में सहमति दी यानि अपने जवाबदावे में वादपत्र के विपरीत कथन दर्ज किये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिये बिना अपीलार्थीया व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 व 3 को सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये बिना विधिक सिद्धान्तों के विपरीत आदेशिका में ही निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थीया को पूर्व में नहीं थीं। आज से एक माह पूर्व रेस्पोडेंट्स संख्या 5 से 7 वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये एवं वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे के भाग पर साफ सफाई करवाकर प्लॉटिंग करने लगे तो अपीलार्थीया ने रेस्पोडेंट्स संख्या 5 से 7 को वादग्रस्त कृषि भूमि के आगे के भाग पर प्लॉटिंग करने से रोका तो रेस्पोडेंट्स संख्या 5 से 7 ने अपीलार्थीया को कहा कि जिस भूमि पर हम प्लोटिंग कर रहे हैं उक्त कृषि भूमि को न्यायालय ने बंटवाड़े में हमारे हिस्से में दी हैं तब अपीलार्थीया ने कहां की वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं मैं भी उपरोक्त कृषि भूमि की सहखातेदार हूँ तब रेस्पोडेंट्स संख्या 5 से 7 ने अपीलार्थीया को कहा कि तुम्हारे भाई शांतिलाल व हमने मिलकर उपरोक्त कृषि भूमि के बंटवाड़े का दावा पेश कर तुम्हारे व तुम्हारी बहनों के विरूद्ध फर्जी तामील करवाकर एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर न्यायालय से निर्णय व डिक्री पारित करवा दिये हैं एवं इस वादग्रस्त कृषि भूमि के अगले हिस्से के भूमि हमारे हिस्से में ले ली हैं तब अपीलार्थीया को प्रथम बार जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, तब अपीलार्थीया ने दिनांक 23.4.2025 को सुमेरपुर जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में जाकर पता किया तब न्यायालय से अपीलार्थीया को उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी दी गयी तब अपीलार्थीया ने अपने अधिवक्ता के मार्फत उसी दिन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पेश किया जहा से दिनांक 24.04.2025 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुयी, उक्त प्रति प्राप्त होने पर सुमेरपुर के अधिवक्ता ने अपीलार्थीया को सलाह दी की पाली जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री की अपील पेश कराओं तब अपीलार्थीया पाली आयी व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब अधिवक्ता ने अपील पेश करने की सलाह दी उक्त सलाह एवं प्रतिलिपि प्राप्त होने से यह अपील अतिशीघ्र प्रस्तुत की जा रही हैं जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 23.04.2025 को होने पर अपीलार्थीया ने उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.04.2025 को प्राप्त की जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व प्रमाणित प्राप्त करने की दिनांक से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के विभाजन हेतु वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2024 को निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की।

2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थीया को पूर्व में नहीं थीं। आज से एक माह पूर्व रेस्पोडेंट्स संख्या 5 से 7 वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये एवं वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे के भाग पर साफ सफाई करवाकर प्लॉटिंग करने लगे तो अपीलार्थीया ने रेस्पोडेंट्स संख्या 5 से 7 को वादग्रस्त कृषि भूमि के आगे के भाग पर प्लॉटिंग करने से रोका तो रेस्पोडेंट्स संख्या 5 से 7 ने अपीलार्थीया को कहा कि जिस भूमि पर हम प्लोटिंग कर रहे हैं उक्त कृषि भूमि को न्यायालय ने बंटवाड़े में हमारे हिस्से में दी हैं तब अपीलार्थीया ने कहां की वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं मैं भी उपरोक्त कृषि भूमि की सहखातेदार हूँ तब रेस्पोडेंट्स संख्या 5 से 7 ने अपीलार्थीया को कहा कि तुम्हारे भाई शांतिलाल व हमने मिलकर उपरोक्त कृषि भूमि के बंटवाड़े का दावा पेश कर तुम्हारे व तुम्हारी बहनों के विरूद्ध फर्जी तामील करवाकर एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर न्यायालय से निर्णय व डिक्री पारित करवा दिये हैं एवं इस वादग्रस्त कृषि भूमि के अगले हिस्से के भूमि हमारे हिस्से में ले ली हैं तब अपीलार्थीया को प्रथम बार जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, तब अपीलार्थीया ने दिनांक 23.4.2025 को सुमेरपुर जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में जाकर पता किया तब न्यायालय से अपीलार्थीया को उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी दी गयी तब अपीलार्थीया ने अपने अधिवक्ता के मार्फत उसी दिन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पेश किया जहा से दिनांक 24. 04.2025 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुयी, उक्त प्रति प्राप्त होने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सुमेरपुर के अधिवक्ता ने अपीलार्थीया को सलाह दी की पाली जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री की अपील पेश कराओं तब अपीलार्थीया पाली आयी व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब अधिवक्ता ने अपील पेश करने की सलाह दी उक्त सलाह एवं प्रतिलिपि प्राप्त होने से यह अपील अतिशीघ्र प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए उभयपक्ष को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 शांतिलाल द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी का मुताबिक हक, हिस्सा जमाबंदी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किए जाने की मांग की। प्रकरण में अपीलांट सहित प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र का समर्थन करते हुए अपने हिस्से का भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किए जाने की मांग की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का मुताबिक रेकर्ड हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

5. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है, के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट की विधिवत तामील उपरांत बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

6. अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 3 की विधिवत तामील नहीं होने का उज्र लेते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने की मांग की गई, के संबंध में हमारे विनम्र मत में प्रथम तो उक्त उज्र रेस्पोंडेंट संख्या 3 से संबंधित है न कि अपीलांट से संबंधित। साथ ही रेस्पोंडेंट संख्या 3 द्वारा इस संबंध में कोई उज्र या प्रति अपील आदि प्रस्तुत नहीं की हैं। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक रेकर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन बाबत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अर्थात किसी भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सहखातेदार को किसी विशिष्ट भूभाग प्रस्तावित नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में भी पक्षकारान के मध्य हिस्से को लेकर किसी प्रकार का विवाद होना कथित नहीं किया है एवं न ही इस संबंध में कोई उज्र लिया गया है। भू.अ. अनुसार वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा दीगर प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का समर्थन किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2022 बअनवान शांतिलाल बनाम पुष्पा के का.मु. हरिशकुमार वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2024 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner